



## बीमा सुगम

### स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में **भारतीय बीमा वनियामक और विकास प्राधिकरण** (IRDAI) ने अपने महत्वाकांक्षी 'बीमा सुगम' ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नरिमाण के लिये शीर्ष नरिणायक संस्था के रूप में कार्य करने के लिये **एक संचालन समिति का गठन** किया है।

- IRDAI का मानना है कि **बीमा सुगम** एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस प्रोटोकॉल है जो भारत में बीमा का सार्वभौमिकीकरण करेगा। इस प्रोटोकॉल को **इंडिया स्टैक** से जोड़ा जाएगा।

### बीमा सुगम:

- परचिय:**
  - यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ ग्राहक वभिन्न कंपनियों द्वारा प्रस्तुत वभिन्न विकल्पों में से एक उपयुक्त योजना चुन सकते हैं।
  - बीमा सुगम** जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा (मोटर व यात्रा सहित) सहित सभी बीमा ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता करेगा।
- वशिषताएँ:**
  - यह बीमा बाज़ार को सरल एवं डिजिटलीकृत करेगा जिसमें **पॉलिसी (बीमा) खरीदने से लेकर उसका नवीनीकरण, दावा नपिटान और एजेंट तथा पॉलिसी पोर्टेबिलिटी** आदि शामिल हैं।
  - यह उपभोक्ताओं की बीमा संबंधी सभी समस्याओं का हल करेगा।
- भूमिका:**
  - प्रस्तावित प्लेटफॉर्म पॉलिसीधारकों के लिये अपने बीमा कवरेज के प्रबंधन हेतु एकल खड़िकी के रूप में कार्य करेगा।
  - यह ग्राहकों की बीमा खरीद, सेवा और नपिटान संबंधी संपूर्ण समाधान प्रदान करेगा।
- उपयोगिता:**
  - इससे बीमा कंपनियों के लिये वभिन्न टच पॉइंट्स से सत्यापित और प्रामाणिक डेटा तक वास्तविक समय में पहुँच प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
  - प्लेटफॉर्म** बचौलियों और एजेंटों के लिये नीतियाँ बेचने एवं पॉलिसीधारकों को सेवाएँ प्रदान करने तथा कागज़ी कार्रवाई को कम करने के लिये इंटरफेस करेगा।
- हतिधारक:**
  - बीमा सुगम प्लेटफॉर्म में जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा कंपनियों की 47.5% हस्सिसेदारी होगी, जबकि ब्रोककर और एजेंट नकियों की 2.5% हस्सिसेदारी होगी।

### IRDAI:

- IRDAI, वर्ष 1999 में स्थापित, **बीमा ग्राहकों के हतियों की रकषा के उद्देश्य से बनाई गई एक नयामक संस्था** है।
  - यह IRDA अधनियम 1999 के तहत एक वैधानिक नकियाय है और वतित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है।
- यह बीमा-संबंधित गतविधियों की नगिरानी करते हुए बीमा उद्योग के विकास को नर्यित्तरति करता है।
- प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कार्य IRDAI अधनियम, 1999 और बीमा अधनियम, 1938 में नरिधारित हैं।


### इंडिया स्टैक:

- परचिय:**
  - इंडिया स्टैक API (एपलकेशन प्रोगरामिंग इंटरफेस)** का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को उपस्थितिरहित, कागज़ रहित एवं कैशलेस सेवा वतिरण की दशिा में भारत की कठिन समस्याओं को हल करने के लिये एक अद्वततीय डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमति देता है।

◦ इसका उद्देश्य जनसंख्या पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करना है।

■ विशेषताएँ:

- इंडिया स्टैक के माध्यम से **डिजिटल लेनदेन** में प्रायः पारंपरिक तरीकों की तुलना में लेनदेन लागत कम होती है। इससे विभिन्न लेनदेन करने की लागत कम होकर व्यवसायों, उपभोक्ताओं और सरकार को लाभ होता है।
- **धन के अंतर** को कम करना तथा **एक कुशल और लचीली डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना** जो आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति दे।



## UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. नमिन्लखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधवास के प्रमाण के रूप में कथिा जा सकता है।
2. एक बार जारी करने के पश्चात्, इसे नरिगत करने वाला प्राधकिरण आधार संख्या को नषिक्रयि या लुप्त नहीं कर सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- आधार प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को नविसयिों की पहचान को सुरकषति और त्वरति तरीके से इलेक्ट्रॉनिकि रूप से प्रमाणति करने में मदद करता है, जसिसे सेवा वतिरण अधकि लागत प्रभावी एवं कुशल हो जाता है। भारत सरकार और UIDAI के अनुसार आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
- हालॉकि UIDAI ने आकस्मकिताओं का एक सेट भी प्रकाशति कथिा है जो उसके द्वाारा जारी आधार अस्वीकृति के लयि उत्तरदायी है। मशिरति या वषिम बायोमेट्रिकि जानकारी वाला आधार नषिक्रयि कथिा जा सकता है। आधार का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे नषिक्रयि कथिा जा सकता है।